इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021—फाल्गुन 21, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2021

क्र. 43-सीसी-21-अड़तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, असाधारण राजपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2015 में प्रकाशित मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग राज्य परियोजना संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, (रूसा) संविदा सेवा नियम 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"6. **संविदा सेवा की कालावधि:**—"संविदा पर व्यक्ति का चयन प्राथमिक रूप से दो वर्षों के लिए वैद्य होगा जिसे उसके कार्य निष्पादन करने और कार्य की अत्यावश्यकताओं के आधार पर "प्रतिवर्ष एक वर्ष की वृद्धि करते हुए परियोजना अवधि तक" बढ़ाया जा सकेगा. संविदा सेवा में वृद्धि की जाने की स्थिति में संविदा पर कार्यरत व्यक्ति का संविदा पारिश्रमिक अधिकतम दस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा."

No. 43-CC-21-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in Madhya Pradesh Higher Education Department, State Project Directorate RASHTRIYA UCHHTAR SHIKSHA ABHIYAN, (RUSA) Contract service rules 2015 published in extraordinary gazette dated 23rd July 2015, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules:—

1. For rule 6, the following rule shall be substituted; namely :—

"6. **The period of Contract Service.**—The contract selection of the person shall primarily be valid for two years which may be further extended each year for a period of one year till the project period on the basis of his performance and work exigencies. In case of extension of the contract period, the contract remuneration of the person working on contract may be increased up to maximum of ten percent."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.